पुलिस ने निभाया भाई का फर्ज : सफाईकर्मी की बेटियों की शादी में पहुंचकर मायरा भरा

40 वर्षों से थाने में सेवा दे रही ललिता देवी की बेटियों के विवाह में पुलिस परिवार बना सहारा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। रिश्ते केवल खून से ही नहीं , बल्कि अपनापन और जिम्मेदारी से भी बनते हैं। इसका उदाहरण राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिला के नारायणपुर पुलिस थाने में देखने को मिला, जहां पुलिसकर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक सफाईकर्मी महिला की बेटियों की शादी में भाई बनकर मायरा (भात) भरा।

जानकारी के अनुसार वाल्मीकि मोहल्ला निवासी ललिता देवी पिछले करीब 40 वर्षों से नारायणपुर पुलिस थाना में सफाईकर्मी के रूप में सेवाएं दे रही हैं। लंबे समय से थाने से जुड़े होने के कारण पूरा स्टाफ उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानता है।

11 मार्च 2026 को उनकी दो बेटियों अंजू और संजू की शादी तय हुई थी। ऐसे में एक बड़ी चिंता यह थी कि ललिता देवी का कोई भाई नहीं है, जो परंपरा के अनुसार मायरे की रस्म निभा सके। जैसे ही यह बात थाने के स्टाफ को पता चली तो पुलिस अधिकारियों और जवानों ने खुद भाई बनकर यह जिम्मेदारी निभाने का निर्णय लिया।

उपमहानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक कोटपूतली-बहरोड़ देवेन्द्र विश्नोई के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिम अली खान के निर्देशन में वृत्ताधिकारी बानसूर मेधा गोयल और थानाधिकारी नारायणपुर रोहिताश मय समस्त जाब्ता ने खुद भाई की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। इसके बाद पुलिसकर्मी गाजे-बाजे के साथ ललिता देवी के घर पहुंचे और भाई का फर्ज निभाते हुए मायरा भरा।

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नारायणपुर थाने के पुलिसकर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए सफाईकर्मी महिला की बेटियों की शादी में भाई बनकर मायरा भरा।

- 1.61 लाख रुपए नकद, सिलाई मशीनें और कपड़े भेंट कर भरा मायरा
- ग्रामीणों ने की पुलिस की मानवीय पहल की सराहना

पुलिसकर्मियों ने दोनों बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख 61 हजार रुपए नकद, दो सिलाई मशीनें, दोनों बेटियों के लिए पांच-पांच जोड़ी कपड़े तथा परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी नए वस्त्र और आवश्यक सामग्री भेंट की।

जब पुलिस अधिकारी और जवान सिर पर साफा बांधकर मायरा लेकर पहुंचे तो ललिता देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि थाना परिवार इस तरह उनकी खुशियों में शामिल होगा। पुलिस के इस मानवीय पहल की स्थानीय ग्रामीणों ने भी सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया।

'प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर पर्याप्त'

जयपुर। खाद्य-नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने बुधवार को सचिवालय में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सभी जिलों के जिला रसद अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इस संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

शासन सचिव ने सभी जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हों और वितरण व्यवस्था सुचारु रहे। अम्बरीष कुमार ने कहा कि तेल एवं गैस कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडरों की समयबद्ध आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने विशेष रूप से शैक्षिणक संस्थानों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों में गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने पर जोर दिया।

शासन सचिव ने निर्देश दिए कि यदि किसी शैक्षिणक संस्थान, अस्पताल या अन्य आवश्यक सेवा से जुड़े संस्थान को गैस सिलेंडर आपूर्ति को लेकर कोई समस्या आती है, तो संबंधित जिला रसद अधिकारी तुरंत हस्तक्षेप कर उसका समाधान सुनिश्चित करें।

जयपुर में घरेलू एल.पी.जी. सिलैंडरों की निर्बाध आपूर्ति से नहीं होगा समझौता : कलेक्टर

जयपुर। जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और आपूर्ति के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं तक गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जयपुर जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूर्ववत निर्बाध रूप से जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की चिकित्सीय और शैक्षिणक संस्थानों में भी निर्बाध उपलब्धता बनी रहे, ताकि आवश्यक सेवाओं में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो।

कलक्टर ने गैस विपणन कंपनियों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं तक प्रमाणित सूचना और जागरूकता संदेश पहुंचाएं, ताकि भ्रम की स्थिति न बने। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से 1445 तथा पुलिस आयुक्तालय जयपुर की ओर से 112 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर गैस सिलेंडर से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत की सूचना दी जा सकती है।

बैठक में रसद विभाग के अधिकारियों को घरेलू गैस सिलेंडरों के वाणिज्यिक उपयोग, अवैध रीफिलिंग और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने कहा कि ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में पहले से ही घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रीफिलिंग, अवैध उपयोग और भंडारण पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन प्रवर्तन - सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रशासन की ओर से नियमित निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

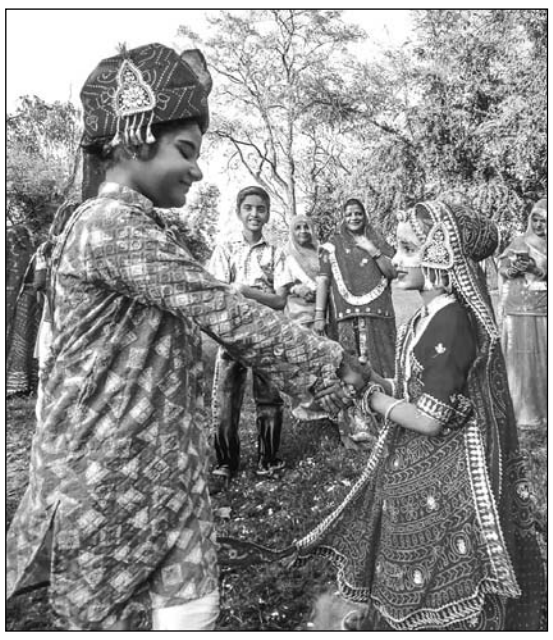

शीतलाष्टमी को गणगौर पूजन करने वाली महिलाओं, युवतियों और नवविवाहिताओं ने जयपुर के राम निवास बाग में बींद-बीनणी का स्वरूप धारण कर बालिकाओं की बिंदौरी निकाली। इससे पहले उन्होंने ईसर-गणगौर का पूजन किया।

जेवरात-नकदी चुराने वाला हिस्ट्रीशीटर पुलिस के हत्थे चढ़ा

जयपुर। करणी विहार पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने सूने मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चुराने वाले दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी वारदात के दौरान जल्दबाजी में अपना मोबाइल फोन और डेबिट कार्ड मौके पर ही छोड़कर भाग गए थे। जिसके आधार पर पुलिस ने उनकी पहचान कर उन्हें दबोचा है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) हनुमान प्रसाद ने बताया कि करणी विहार थाना पुलिस और डीएसटी पश्चिम ने कार्रवाई करते हुए सूने मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के गहने और नगदी चोरी करने वाले शुभम सैनी (27) और नरेन्द्र सैनी उर्फ नंदू (29) को गिरफ्तार किया है। दोनो ही आरोपित मुरलीपुरा इलाके के रहने वाले है। पुलिस ने आरोपियों से 6 चांदी के सिक्के, एक पीतल की चरण पादुका और पीतल की शिव-पार्वती की जोड़ी बरामद की है।

सिक्यूरिटी गार्ड बनकर दुपहिया वाहन चुराने वाले तीन शातिर बदमाश दबोचे

जयपुर (कासं)। एसएमएस अस्पताल थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चुराने वाले गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नौ चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व संजीव नैन ने बताया कि एसएमएस अस्पताल थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चुराने वाले हेमेन्द्र महावर उर्फ हेमू (21) निवासी कोतवाली जिला करौली, घनश्याम कबरिया उर्फ संजय(18) निवासी रामगंज जयपुर और चन्द्रपाल सिंह (29) निवासी चिकसाना जिला भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से दो मेडिकल कॉलेज एसएमएस अस्पताल जयपुर सिक्योरिटी गार्ड है। पूछताछ में आरोपियों ने अपने साथी के साथ मिलकर बाइक चोरी करना स्वीकार किया। जिनकी निशानदेही पर चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद की गईं।

पुलिस के अनुसार आरोपी एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात थे। वे ड्यूटी की आड़ में मोटरसाइकिल चोरी करते थे। आरोपी पहले बाइक को एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह छिपा देते थे और कुछ समय बाद पुलिस का खतरा कम होने पर उन्हें बेच देते थे।

गिरफ्तार आरोपी हेमेन्द्र के खिलाफ पहले भी गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि सुरक्षा गार्डों का पुलिस सत्यापन कराया गया था या नहीं। इस कार्रवाई में पुलिस टीम के सदस्य सूरजमल, रामकेश, हरिमोहन, मेघराम, मुकेश कुमार, हनुमान प्रसाद, ललित कुमार और विकास की विशेष भूमिका रही। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

प्रभारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि 5 मार्च 2026 को परिवादी जितेन्द्र कुमार वर्मा ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

परिवादी ने बताया कि 26 फरवरी की रात वह अपनी बाइक आरडी हॉस्टल, मेडिकल कॉलेज एसएमएस अस्पताल जयपुर के गेट नंबर-5 की पार्किंग में खडी कर कैफे में चला गया था। सुबह वापस आने पर बाइक वहां से गायब मिली। इस पर थाना एसएमएस अस्पताल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंह के निर्देशन तथा सहायक पुलिस आयुक्त नारायण सिंह बालिजा के सुपरविजन में थाना प्रभारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की। जांच के दौरान आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और मुखबिर की सूचना के आधार पर दो संदिग्धों को हिरासत में लिया।

राजधानी जयपुर के अहिंसा सर्किल पर बुधवार दोपहर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, देखते ही देखते आग की चपेट में वहां खड़ी एक स्कूटी भी आ गई। फायर बिग्रेड के मौके पर पहुंचने से पहले ही लोगों ने अन्य वाहनों को हटाकर बचाया और आग बुझाई।

गढ गणेश मंदिर में रोप-वे के निर्माण का रास्ता साफ

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के गढ गणेश मंदिर में रोपवे के निर्माण पर दिए यथा-स्थिति के आदेश को वापस ले लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिका को भी निस्तारित कर दिया है। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों और जिला कलेक्टर के 1 मई, 2024 के आदेश के खिलाफ अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। अदालत ने पन्द्रह दिन में अपील पेश होने पर उसे समय-सीमा के भीतर मानने के आदेश दिए हैं। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड की याचिका का निस्तारण करते हुए दिए। अदालत ने मामले में गत 1 अगस्त, 2024 को रोपवे के निर्माण पर यथा-स्थिति के आदेश दिए थे।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने गढ गणेश मंदिर में रोपवे के निर्माण के लिए आवेदन किया था। वहीं मंदिर ट्रस्ट को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से स्वीकृति देने के खिलाफ याचिकाकर्ता ने जिला कलेक्टर के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराई थी। जिसका निस्तारण नहीं होने पर पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसके अदालत ने 18 मार्च, 2024 को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता व अन्य को सुनवाई का मौका देकर आपत्तियों को विस्तृत आदेश से निस्तारित करने को कहा। याचिका में कहा गया कि कलेक्टर ने 1 मई, 2024 को याचिकाकर्ता की आपत्तियों का निस्तारण कर आदेश जारी कर दिया। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि सरकार ने मंदिर ट्रस्ट को रोप-वे निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन ट्रस्ट ने इसका काम मैसर्स शिवम प्राइम इन्फ्रा को सौंप दिया, जबकि इस कंपनी ने रोपवे निर्माण के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया था। याचिका में बताया गया कि उसने पुष्कर और उदयपुर सहित देश में करीब डेढ दर्जन जगहों पर रोप-वे का निर्माण किया है। याचिका में यह भी कहा गया कि पूर्व में अदालत के आदेश पर याचिकाकर्ता ने कलेक्टर को इस संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन कलेक्टर ने आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने कहा कि रोपवे अधिनियम की धारा 22 के तहत कलेक्टर के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार के समक्ष अपील की जाएगी।

सफाई, कचरा प्रबंधन और सुरक्षा मजबूत करने के लिए शहर में घूमे निगम आयुक्त

पुरोहितजी का कटला पहुंचकर फायर फाइटिंग सिस्टम का निरीक्षण किया

जयपुर। राजधानी जयपुर में सफाई, कचरा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए नगर निगम जयपुर के आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने बुधवार को विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण किया।

आयुक्त ने सबसे पहले दिल्ली रोड स्थित लाल डूंगरी में निर्माणाधीन कचरा ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने कचरा संग्रहण, ट्रांसफर प्रक्रिया और स्वच्छता व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कचरा निस्तारण की प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुचारू रखा जाए तथा परिसर में स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि आसपास के क्षेत्रों में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके बाद आयुक्त ने शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र पुरोहित जी का कटला में स्थापित फायर फाइटिंग सिस्टम का निरीक्षण किया। उन्होंने फायर सेफ्टी उपकरणों और व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लेते हुए आवश्यक तकनीकी सुधार करने और सिस्टम को पूरी तरह क्रियाशील बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घनी आबादी और व्यस्त बाजार क्षेत्रों में फायर सेफ्टी की मजबूत व्यवस्था होना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जा सके। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने किशनपोल बाजार स्थित आर्ट ऑफ स्कूल का भी दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने परिसर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।

नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने बुधवार को जयपुर परकोटे स्थित पुरोहित जी का कटला पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

- लालडूंगरी कचरा ट्रांसफर स्टेशन का भी निरीक्षण कर कचरा निस्तारण की प्रक्रिया व्यवस्थित करने के निर्देश दिए

आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के प्रमुख स्थानों पर व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण कुमार, नगर निगम के संबंधित इंजीनियर तथा स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी मौजूद रहे।

सार-समाचार

वरिष्ठ पत्रकार मणिमाला शर्मा सम्मानित

जयपुर। राजस्थान विधानसभा और राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समारोह में वरिष्ठ पत्रकार मणिमाला शर्मा को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। राजस्थान विधानसभा भवन में आयोजित समारोह में मणिमाला शर्मा को सांसद मंजू शर्मा ने शॉल ओढाकर और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में उपस्थित राज्यमंत्री मंजू बाघमार, जयपुर सांसद मंजू शर्मा सहित सभी महिला विधायकों और प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ महिला अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनका स्वागत व सम्मान किया। फाउंडेशन की प्रबंध निदेशक प्रीति चारण ने बताया कि महिला दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रदेश की विशिष्ट महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। इस बार राज्य विधानसभा की महिला विधायक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, और महिला प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया गया।

भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा : दिलावर

जयपुर। जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में बुधवार को आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय वनस्पतिक बीज बैंक कार्यशाला में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी अच्छा कार्य करेंगे उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, वहीं लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में गोचर एवं औरण भूमि के विकास, घास-चारा उत्पादन तथा देशी वृक्षों के संरक्षण को बढावा देने के लिए वनस्पतिक बीज बैंक स्थापित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में प्रदेश के 30 जिलों में कुल 150 बीज बैंक स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्घाटन 22 अप्रैल 2025 को किया गया था। मंत्री ने कहा कि कुछ बीज बैंक बेहतर कार्य कर रहे हैं, जबकि कई स्थानों पर अपेक्षित स्तर पर बीज संग्रहण नहीं हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्थानीय प्रजातियों के घास, चारा एवं देशी वृक्षों के बीजों का संग्रहण, संरक्षण एवं भंडारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि चारागाह विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी न आए। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे तथा चारागाह विकास कार्यों को गति मिलेगी। कार्यशाला में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण निदेशक मोहम्मद जुनेद ने भी संबोधित किया तथा अतिरिक्त निदेशक मनोज कुमार ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की।

आम रास्तों व नालियों से कचरा हटाने, नियमित सफाई और कॉलोनियों में बड़े कचरा पात्र लगाने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम जयपुर प्रशासन को दिए आदेश

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम को कहा है कि वह शहर से ठोस कचरा हटाने, सडकों और आम रास्तों व नालियों की सफाई के लिए जरूरी कदम उठाए। इसके साथ ही अदालत ने शहर की आवासीय कॉलोनियों में बड़े आकार के डपिंग बॉक्स लगाकर उन्हें रोज सुबह नियमित रूप से साफ करने को कहा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश विमल चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- अदालत ने कहा है कि नगर निगम को हर आवासीय कॉलोनी से कचरा हटाने के लिए समय सारणी तय करनी चाहिए। वहीं बाजार में भी कूडे की सफाई तय समय पर होनी चाहिए और इस संबंध में एरिया के संबंधित निवासियों व दुकानदारों को इसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए।

अदालत ने कहा है कि नगर निगम को हर आवासीय कॉलोनी से कचरा हटाने के लिए समय सारणी तय करनी चाहिए। वहीं बाजार में भी कूडे की सफाई तय समय पर होनी चाहिए और इस संबंध में एरिया के संबंधित निवासियों व दुकानदारों को इसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि जो स्थानीय निवासी कचरा हटाने को लेकर अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, उन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। वहीं अदालत ने नगर निगम को यह बताने को कहा है कि वार्ड वार काम कर रहे सफाई कर्मचारियों का ब्यौरा पेश किए जाए और यह भी बताया जाए कि कितने सफाई कर्मचारियों को सफाई के अलावा दूसरे काम दिए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वह नगर निगम के काम से खुश नहीं हैं।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने कहा कि नगर निगम ने करीब 8000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की है, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत कम सफाई कर्मचारी ही काम कर रहे हैं।

जिन कर्मचारियों की भर्ती की गई है, उनमें से ज्यादातर को या तो ऑफिस में लगाया जा रहा है या उनकी सेवा का इस्तेमाल सफाई के अलावा दूसरे काम के लिए किया जा रहा है। इसका नतीजा यह है कि शहर में सफाई का काम रुक गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कई सफाई कर्मचारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम के तहत लगाया गया है, जबकि उनका काम नियमित तौर पर सफाई करने का है। इसके जवाब में नगर निगम ने कहा कि उनके पास उपस्थिति रजिस्टर है, इसमें सफाई कर्मचारी अपने ऑफिस में अपनी उपस्थिति लगा रहे हैं। नगर निगम की ओर से रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय मांगा।

जिस सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने नगर निगम को निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 18 मार्च को रखी है।